कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (म.प्र.)

:: केन्टीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना ::

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर, ग्वालियर में स्थित केंटीन संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख जिला न्यायालय ग्वालियर के नजारत अनुभाग में उपलब्ध है। इच्छुक संस्थाएं/व्यक्तियों/कंपनियां अपना निविदा फार्म 250/– रूपये नगद कार्यालय में जमा कर अथवा डीडी के माध्यम से कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में कार्यालयीन समय पर आवक/जावक शाखा में जमा कर सकते हैं। उपरोक्त निविदायें दिनांक 20/06/2020 तक भरकर कार्यालय में जमा की जानी हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 21/06/2020 को निविदाकर्ता/प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में दोपहर 2.00 बजे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में गठित समिति के समक्ष खोली जावेगीं। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट www.districts.ecourts.gov.in/gwalior पर भी उपलब्ध है। जहां से उपरोक्त निविदा फार्म डाउनलॉड किया जा सकता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)

नोटः– कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग कमांक–1 ग्वालियर का पत्र कमांक 2861/तक./किराया निर्धारण/2020–21 ग्वालियर दिनांक 15.05.2020 के अनुसार केन्टीन का किराया रूपये 38438/– प्रतिमाह एवं 461250/– प्रतिवर्ष निर्धारित है।

केंटीन संचालन का स्थान :– जिला न्यायालय परिसर ग्वालियर

निविदा फॉर्म

प्रथम पक्ष :–निविदाकर्ता का नाम ....

पता –...

....

....

मोबाईल नं. ....

प्रस्तावित अनुबंध राशि ....

द्वितीय पक्ष :– जिला रजिस्ट्रार,
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर

–00–

जिला न्यायालय परिसर, ग्वालियर स्थित केंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ता से 01 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदा शर्तें

1– निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदा दिनांक 20/06/2020 तक कार्यालयीन समय पर स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

2– निविदाकर्ता एवं द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध एक वर्ष के लिये संपादित किया जाएगा। अनुबंध अनुसार कैंटीन संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है।

3– कैंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन का संचालन बंद किया जाता है तो निविदाकर्ता को उसके द्वारा

जमा की गई कोई राशि लौटाई नहीं जावेगी।

4— निविदाकर्ता को निविदा फॉर्म के साथ रूपये 25,000/— की जमानत राशि जिला न्यायाधीश, ग्वालियर को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा।

5— प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन संचालन हेतु प्रथम एक वर्ष के लिये राशि रूपये 461250/— की न्यूनतम अनुज्ञा शुल्क निर्धारित है। अनुज्ञा शुल्क निविदाकर्ता जिसके द्वारा अधिकतम प्रस्तावित किया जावेगा, अन्य शर्तो के अद्यधीन निविदा स्वीकार की जावेगी।

6— जिस निविदाकर्ता की अधिकतम अनुज्ञा शुल्क अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता के अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व अनुज्ञा शुल्क की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक 06 माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

7— अधिकतम अनुज्ञा शुल्क की प्रस्तावित की गई राशि अंतिम होने की स्थिति में कैंटीन की वार्षिक अग्रिम के रूप में अदा करनी होगी, अन्यथा निविदा शर्तों का उल्लघंन होने पर अनुबंध निरस्त किया जाकर प्रथम पक्ष को कैंटीन संचालन हेतु रोक दिया जावेगा।

8— अनुबंध की शर्तो को प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लघंन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

9— माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. के आदेशानुसार या अन्यथा जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।

10— कैंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय/अवॉर्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

11— निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप

से या शासकीय संपत्ति की क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

12— निविदाकर्ता कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

13— प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

14— समय—समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।

15— निविदाकर्ता कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय—समय पर द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जावेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसर पर कैंटीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।

16— निविदाकर्ता कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हें आबंटित स्थान में किसी भी प्रकार स्थाई निर्माण/संरचना नहीं किया जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में कोई अस्थाई निर्माण, जोकि व्यवसाय संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति की क्षति कारित करने वाला न हो, किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वंय के व्यय पर हटाएगा।

17— निविदाकर्ता कैंटीन कक्ष का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि के विद्युत देयक भुगतान करेगा।

18— कमांक 14, 15 एवं 24 से संबंधित उल्लघंन के सबंध में या अन्यथा परिस्थितियों में आपराधिक कृत्य हेतु उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का ही रहेगा। द्वितीय पक्ष उसके लिये किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

19— कैंटीन दुकान के संचालन के लिये प्रथम पक्ष द्वारा ही मशीनों को रखा जावेगा तथा इस रख रखाव में हुये व्यय का वहन भी प्रथम पक्ष का ही

होगा।

20— निविदाकर्ता कैंटीन दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिषद/नगर निगम से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।

21— निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र यदि उसने पूर्व में कैंटीन संचालन किया हो, उक्त अनुभव आदि की समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।

22— निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर द्वितीय पक्ष से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी।

23— विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।

24— निविदाकर्ता कैंटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष द्वारा प्रति दिवस पॉच सौ रूपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

25— निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा 1000/— रूपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी

26— कैंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

27— अनुबंध अवधि में जल संयोजन हेतु अनुमति पक्ष क्रमांक 2 द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी, जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।

28— सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।

29— कैंटीन जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय पर सामान्यतः प्रातः 09 बजे से सांय 07 बजे तक ही चलाई जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।

30— समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लघंन

करने / विवाद वाले या अन्यथा अभिभाषकों / न्यायालयीन कर्मचारियो / पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा की कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा / उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा / निविदा निरस्त की जा सकेगी।

31– कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को द्वितीय पक्ष का यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा के अंतर्गत की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित या परिवर्धित अथवा रद्‌द कर सकता है।

32– सफल निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन की दुकान वाले भाग में स्वयं के व्यय पर रंगरोगन मरम्मत आदि का कार्य समय–समय पर किया जावेगा।

33– केंटीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

34– प्रथम पक्ष केंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधियों जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।

35– कैंटीन के अंदर किसी भी मादक पदार्थ अथवा द्रव्यों / धूम्रपान / पान / तम्बाकू / बीडी / सिगरेट आदि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

36– केन्टीन संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान–पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र / ड्राइविंग लायसेंस / आधार कार्ड / पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

निविदा दिनांक 21 / 06 / 2020 को सांय 02:00 बजे निविदाकर्ता / प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी।

"मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।"

....

(हस्ताक्षर)

निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)